HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 1652/2026
CNR: RJHC020248702026 | URN: CRLMP / 3635U / 2026

Babulal S/o Late Sh. Gumanchand Urf Bhagwansahay, Aged About 50 Years, R/o Sira Ki Dhani Dausa, Rajasthan.

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through PP
2. Rajnish S/o Kajodmal, R/o 8/20 Vikas Colony, Dausa, Rajasthan.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Abhishek Bhardwaj, Adv. Mr. Aayush Malik, Adv. Mr. Abhishek Saini, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Devi Singh, PP Mr. Amit Jindal, Adv. Mr. Richank Mudgal, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

27/10/2026

याची–अभियुक्त बाबूलाल की ओर से यह याचिका अंतर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस. विद्वान निगरानी न्यायालय, विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) प्रकरण दौसा, जिला दौसा द्वारा दाण्डिक निगरानी संख्या 06/2024 में पारित आदेश दिनांक 27.01.2026 से व्यथित होकर प्रस्तुत की, जिसके माध्यम से याची–अभियुक्त की निगरानी याचिका खारिज करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 05.01.2023 की पुष्टि की गई, जिसके माध्यम से अभियुक्त को दाण्डिक प्रकरण संख्या 3879/2021 में धारा 457 व 380 भा.दं.सं. के आरोप से विरचित किया गया।

विद्वान अधिवक्ता याची–अभियुक्त का निवेदन है कि परिवादी तथा उसका भाई व पिता के अलावा किसी भी स्वतंत्र गवाह अथवा पुलिसकर्मी द्वारा अभियुक्त के घटनास्थल पर उपस्थित होने व विद्यालय में रात्रि के समय प्रवेश

Digitally signed by
DINESH KUMAWAT
Date: 2026.10.30
11:42:27 IST

कर चोरी किये जाने के तथ्य की पुष्टि नहीं की है। अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित करने हेतु पत्रावली पर कोई सुदृढ़ सामग्री नहीं है लेकिन इसके बावजूद विद्वान विचारण व निगरानी न्यायालय द्वारा कानूनी व तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किये बिना आक्षेपित आदेश पारित किये हैं, जो अपास्त होने तथा अभियुक्त आरोप मुक्त होने योग्य है।

परिवादी/प्रत्यर्थी रजनीश द्वारा पुलिस थाना सदर, जिला दौसा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 83/2018 दिनांक 01.04.2018 को दर्ज करवाकर यह आरोप लगाया है कि उसके विद्यालय पर चौकीदार राधेश्याम जांगीड़ थे, चोरी की सूचना मिलने पर वे मौके पर गये तो मौके पर एक मारूति वैन के अलावा आई–20 RJ 29 CA 1803 खड़ी पाई गई, जिसमें स्कूल के कंप्यूटर, कैमरे, प्रोजेक्टर, स्कूल का रिकॉर्ड आदि वाहनों में भरा हुआ था। अभियुक्त ने तत्काल कंट्रोल रूम को सूचना दी, चौकीदारी को कमरे में बंद रखा था, स्कूल में 10–12 लोग प्रवेश किये हुआ थे, मौके पर बाबूलाल मीना सहित चार लोगों को पकड़ लिया, पुलिस मौके पर आ गई थी, जो पकड़े हुए लोगों को ले गये आदि आदि।

विद्वान अधिवक्ता याची–अभियुक्त का मुख्य रूप से यह तर्क है कि यदि याची बाबूलाल मीना मौके पर होता तो पुलिस पकड़कर ले गई होती तो रोजनामचे में उसका नाम उल्लेखित होता, मौके पर उसके वाहन को तत्काल जब्त किया हो, ऐसी स्थिति भी नहीं है, पुलिसकर्मी बलवीर, सुनेश, रामसिंह व मदनलाल ने बाबूलाल की उपस्थिति मौके पर नहीं बताई है, परिवादी व उसके हितबद्ध गवाहान के कथनों की पुष्टि अन्य गवाह ने नहीं की है।

परिवादी रजनीश तथा उसका भाई व पिता मौके पर पहुंचे हैं, उनके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों को पुष्ट करते हुए बाबूलाल की मौके पर उपस्थिति बताई गई है, बाबूलाल तथा परिवादी इस विद्यालय में पूर्व में पार्टनर रहे हैं और रंजिश का यह कारण प्रकट हुआ है।

विद्वान अधिवक्ता याची–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत Dilawar Balu Kurane Vs. State of Maharashtra 2002 (2) SCC 135 और Union of India Vs. Prafulla Kumar Samal & Anr. 1979 (3) SCC 4 में आरोप

विरचित किये जाने अथवा आरोप मुक्त किये जाने के संबंध में प्रकरण विशेष के तथ्यों के आधार पर निर्णय पारित किये गये हैं। प्रस्तुत अन्य न्यायिक निर्णय Samrathsingh Takhatsingh Vs. State of Madhya Pradesh MANU/MP/0225/1978, Arvind Parmar @ Bunty Raja & 2 Ors. Vs. State of U.P. 2019 Law Finder (Allahabad) 2068, Chhadami Vs. Emperor 1940 AIR Allahabad 259 तथा Prem Bahadur Rai Vs. State of Sikkim MANU/SI/0002/1977 में विचारण के उपरांत अपील में पारित निर्णय से संबंधित हैं, जबकि वर्तमान मामला आरोप विरचित करने की सीमा तक सीमित है।

अभियुक्त पक्ष की ओर से प्रस्तुत न्यायिक निर्णय तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तमिलनाडू राज्य बनाम सुरेश राजन 2014 (1) आर.एल. डब्ल्यू. 856 (एस.सी.) तथा सोनू गुप्ता बनाम दीपक गुप्ता क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर 2015 (एस.सी.) 287 में यह व्यवस्था प्रतिपादित की गई है कि आरोप विरचित किये जाने के प्रक्रम पर सुदृढ़ संदेह के आधार होना पर्याप्त है, दोषसिद्धी की संभावना का आकलन किया जाना अनुज्ञेय नहीं है।

पुलिस द्वारा मौके पर जिन दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर थाने लाना बताया गया है, उनका नाम रोजनामचा में उल्लेखित नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कुल 10–12 व्यक्तियों द्वारा यह घटना कारित किया जाना बताया गया है, अभियुक्त बाबूलाल को नामजद किया गया है, यद्यपि उसकी गिरफ्तारी विलम्ब से हुई है लेकिन उपलब्ध सामग्री के आधार पर उसे इस मामले में वर्ष 2020 में गिरफ्तार किया गया है, उसकी आई–20 कार जिसकी मौके पर उपस्थिति बताई गई है, उसे भी अभियुक्त के कब्जे से जब्त किया गया है। राधेश्याम जांगीड़ चौकीदार द्वारा सभी व्यक्तियों को नहीं पहचाना गया है लेकिन उसके द्वारा यह कथन किया गया है कि कुछ व्यक्तियों ने अंदर आकर उसे कमरे में बंद कर दिया था। बाबूलाल के व्यक्तियों ने यह घटना कारित की तथा 10–12 अन्य व्यक्ति थे।

गवाह रजनीश, कजोड़ और महेश यद्यपि एक ही परिवार के होकर हितबद्ध हो सकते हैं, परंतु मात्र हितबद्ध होने के कारण उनके कथनों को इस

स्टेज पर अस्वीकार किया जाना उचित नहीं है। अन्यथा भी रात्रि के समय हितबद्ध व्यक्ति ही मौके पर पहुंचेंगे, यह स्वाभाविक आचरण है, गैर संबंधित व्यक्ति सामान्य रूप से विवाद में पड़ना नहीं चाहता है। स्पष्ट है कि आरोप विरचित करने हेतु सुदृढ़ सामग्री अभिलेख पर रही है, पुलिसकर्मी अथवा कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा परिवादी के कथनों की पुष्टि नहीं की गई है, मात्र इस आधार पर अभियुक्त को आरोप मुक्त किया जाना उचित नहीं है। आरोप विरचित किये जाने के सुदृढ़ आधार अभियुक्त पर रहे हैं और इस दृष्टिकोण से विद्वान विचारण न्यायालय व निगरानी न्यायालय का आदेश पूर्णतः विधिसम्मत है, ऐसी स्थिति में आक्षेपित आदेश पुष्ट होने तथा यह याचिका खारिज होने योग्य है।

परिणामतः याची–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह दाण्डिक याचिका खारिज की जाकर आक्षेपित आदेश की पुष्टि की जाती है तथा स्थगन आवेदन व अन्य आवेदन, यदि कोई लंबित हों, तो वे भी उक्तानुसार निस्तारित किये जाते हैं।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा जो भी अभिमत दिया गया है, वह इस याचिका के निस्तारण तक सीमित है, विचारण न्यायालय उससे प्रभावित हुए बिना उपलब्ध सामग्री के आधार पर निर्णय पारित करेंगा।

(UMA SHANKER VYAS),J

39/DINESH KUMAWAT